

विदेशी सहायता

इस अनुबन्ध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017	संशोधित अनुमान 2016-2017	बजट अनुमान 2017-2018
क. ऋण	36,053.72	44,789.00	41,875.00	46,070.00
ख. नकद अनुदान	1,874.23	2,175.21	1,624.00	1,948.00
ग. वस्तु अनुदान सहायता	7.00	686.82	1,258.00	1,112.00
घ. जोड़ (क+ख+ग)	37,934.95	47,651.03	44,757.00	49,130.00
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	23,305.38	25,694.58	27,002.00	30,281.00
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	14,629.57	21,956.45	17,755.00	18,849.00
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3,924.88	4,058.50	5,154.00	5,768.00
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	10,704.69	17,897.95	12,601.00	13,081.00

वित्त मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय भागीदारों के साथ विकास सहयोग हेतु आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के संबंध में 8 दिसम्बर, 2015 को जारी नए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान द्विपक्षीय भागीदारों के अलावा अन्य देशों से भी ओडीए स्वीकृत की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य मार्ग से सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त, विशेष ऋणों (अर्थात् ऐसे ऋण जिनके लिए वित्तीय सहायता करने वाले देश से निष्पादनकारी एजेंसी के प्रापण के लिए शर्तें रखी गई हैं) के रूप में द्विपक्षीय सहायता की पेशकश को स्वीकृत किया जाए।

सरकार द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता भी प्राप्त की जा सकती है, यदि यह सहायता किसी बहुपक्षीय एजेंसी के जरिए अथवा सह-वित्तपोषण से दी जाती है तथा बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा उसके अपने नियमों और प्रक्रियाओं के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना क्रियान्वित किया जाना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भागीदार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच उनकी नीतियों के भाग के रूप में बनाई जाएं। ऐसे सह-वित्तपोषित कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं कार्यक्रम/परियोजना चलाने वाली बहुपक्षीय एजेंसी को प्रयोज्य प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होंगी।

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और भारत में एजेंसी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र वैश्विक सार्वजनिक सामान के स्थायी प्रबंधन और जैव-विविधता का परिरक्षण हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- "कोची मेट्रो परियोजना" और "बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-II"।

एएफडी ने संअ. 2016-17 में ₹ 500 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 108 करोड़ संवितरित किए हैं।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास।

2016-17 के दौरान भारत सरकार और केएफडब्ल्यू (जर्मनी) ने "नागपुर मेट्रो परियोजना" "ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना" सहित 1139.44 मिलियन यूरो के पांच नए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

केडब्ल्यूएफ सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पौषणीय नगर पालिका अवसंरचना वित्तपोषण, 'शूगटोंग-कर्म पनबिजली परियोजना-एचपी', हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंद्रा ट्रांशमिशन प्रणाली' तथा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी की जलवायु प्रूफिंग।

2016-17 के दौरान ऋण प्राप्ति संअ. 2016-17 के ₹758 करोड़ के मुकाबले ₹353 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹15 करोड़ है। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹652 करोड़ है।

III. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, स्वच्छता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवेज परियोजना', 'बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस उपशमन परियोजना', 'तमिलनाडु पारिषद प्रणाली सुधार परियोजनाएं' और 'मुंबई मेट्रो लाइन परियोजना'।

सरकारी ऋणों के लिए 2016-17 के दौरान संवितरण संअ. 2016-17 के ₹12,014 करोड़ के मुकाबले ₹6,274 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹36 करोड़ है। ब.अ. 2017-18 में ₹12,580 करोड़ का अनुमान है।

IV. रूसी परिसंघ

वर्तमान वचनबद्धता के अन्तर्गत, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था जिसमें 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 2600 मिलियन अमरीकी डालर के सरकारी ऋण की व्यवस्था बढ़ाकर रूसी परिसंघ से आपूर्ति और सेवा पर आने वाली लागत 85% भाग तक कर दी गई है। 31-12-2014 से यूनिट-1 का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है।

कुडनकुलम में (यूनिट 3 और 4) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2012 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के प्रोटोकाल करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें रूसी परिसंघ ने 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 4200 मिलियन अमरीकी डालर का सरकारी ऋण प्रदान किया।

रूसी परिसंघ ने 2016-17 के दौरान ₹416 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹2500 करोड़ है।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था।

एडीबी की परियोजनाएं शहरी, परिवहन, विद्युत, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं। सरकारी खाते पर वर्तमान एडीबी ऋणों की संख्या 68 है। सरकारी खाते पर एडीबी सहायता के जरिए चल रही प्रमुख परियोजनाएं हैं-

'मध्यप्रदेश जिला संपर्कता क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम-3', 'सासेक सड़क संपर्कता निवेश कार्यक्रम। वर्ष 2016-17 के दौरान एशियाई विकास बैंक ने 668 मिलियन अमरीकी डालर के पांच नए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस प्रकार हैं- 'उडिसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश परियोजना-2', 'झारखंड राज्य सड़क परियोजना', 'असम विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना-2', 'कावेरी डेल्टा में वेन्नर सब-बेसिन में जलवायु अनुकूलन परियोजना; और कोलकाता पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम परियोजना-2'।

2016-17 के दौरान एडीबी से संवितरण संअ. 2016-17 के ₹9,620 करोड़ के मुकाबले ₹5,253 करोड़ है। बअ 2017-18 का अनुमान ₹10,562 करोड़ है।

II. यूरोपीय संघ(ईयू)

यूरोपीय निवेश बैंक यूरोपीय संघ की वित्तपोषण संस्था है जिसे पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी के साथ प्रथम सरकारी ऋण करार 'लखनऊ मेट्रो रेल लाइन (यूरो 200 मिलियन) के निर्माण हेतु 2015-16 के दौरान हस्ताक्षरित किया गया है। संवितरण 2016-17 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

III. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया जीएफएटीएम से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रमोटिंग कम्प्रेहेंसिव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रिटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'। वर्ष 2016-17 के दौरान, जीएफएटीएम द्वारा अनुदान के रूप में ₹364 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

IV. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में सहायता दी है।

चालू संवितरण किए जा रहे ऋणों की संख्या 11 है। आईएफएडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजिविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आईएफएडी ने सं.अ. 2016-17 के ₹ 270 करोड़ के मुकाबले ऋण के रूप में ₹ 160 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹ 300 करोड़ है।

V. न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। यह बैंक ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास वाली परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाएगा।

VI. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों को सहायता प्रदान करना है। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी) 2013-17 में चार निष्कर्षों अर्थात् समावेशी विकास, अभिशासन, स्थायी विकास और महिला-पुरुष समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह देश कार्यक्रम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है। 2013-2017 हेतु भारतीय देश कार्यक्रम के लिए कुल संसाधन आबंटन 243.4 मिलियन अमरीकी डालर बैठता है।

VII. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

VIII(क). अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्प्लोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 32 है। 104 मिलियन अमरीकी डालर की दो नई परियोजनाएं 2016-17 में हस्ताक्षरित की गई थी, जो इस प्रकार हैं 'कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना' और 'पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत संस्था चरण-II' को सुदृढ़ करने वाले ऋण की तैयारी हैं।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग आंतर संपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, 'स्वच्छ भारत मिशन सहायता प्रचालन', दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरीडोर-1 परियोजना आदि हैं। 2016-17 के दौरान आईबीआरडी ने सं.अ. 2016-17 के ₹7,227 करोड़ के मुकाबले ₹4627 करोड़ का ऋण और ₹60 करोड़ अनुदान के रूप में संवितरित किए हैं। ब.अ. 2017-18 में ₹7,360 करोड़ का अनुमान है।

आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

VIII(ख). अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए से लिए गए ऋण की वापसी अदायगी इस समय 25 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो एमडीजी प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की आईडीए ऋणों, जो अधिकांश एसडीआर में होता है, किन्तु अमरीकी डालर में संवितरित और पुनः अदा किया जाता है, द्वारा सहायता की जा रही है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 60 है। 425 मिलियन अमरीकी डालर के दो नए करार भारत और आईडीए के बीच 2016-17 में हस्ताक्षरित किए गए थे जो इस प्रकार हैं- 'हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना' और 'बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना-जीविका-II'।

आईडीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, तृतीय प्राथमिक शिक्षा परियोजना, उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना। आईडीए द्वारा 2016-17 में सं.अ. 2016-17 के ₹10,136 करोड़ के मुकाबले ₹6,339 करोड़ का संवितरण किया गया है। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹10,956 करोड़ है।